



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./एसीए/2016/8070

दिनांक 14-3-16

संशोधित कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : पं. 3 (2) शिक्षा-6/2015 दिनांक 04.05.2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.10.2015 एवं इसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक रा.मा.शि.पं./जय/V.E. GOR/2015-16/17512 दिनांक 04.12.15 द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज से दो या दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने, संकाय तथा प्रभावी निर्धारण हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : ए.सी.ए./मा.शि.बो./2015/2979 दिनांक 03.06.2015 में आंशिक संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :-

1. कक्षा-10 की समकक्षता हेतु -

- (i) कक्षा- आठवीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा-10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10 वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा आईटीआई की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा-10वीं के समकक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आईटीआई के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।
- (iii) आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् (NCVT) नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों के पूर्व एवं पश्चात्) कर चुके विद्यार्थी दसवीं की समकक्षता, हिन्दी व अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- (iv) उपर्युक्त वर्णित बिन्दु सं. (i) से (iii) द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने पर बोर्ड कार्यालय से सशुल्क पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र में शामिल करना होगा।

2. कक्षा-12 की समकक्षता हेतु -

- (i) कक्षा-दसवीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से बारहवीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जावेगा।
- (ii) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आईटीआई की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आईटीआई करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

- (iii) दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी बारहवीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
- (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्नीक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टैक्नीकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
- (v) उपरोक्त बिन्दु सं. (i) से (iv) में वर्णित परीक्षार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए बोर्ड कार्यालय से समकक्षता प्रमाण-पत्र संशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
3. संकाय निर्धारण :— बिन्दु संख्या 2 के सभी उप बिन्दुओं में वर्णित बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय का विद्यार्थी माना जाएगा।



(मंधना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :— ८०७१—८०

1. शासन सचिव, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गृप-6) विभाग राजस्थान।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं जि.शि.अ. (माध्यमिक)।
8. समस्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in



सचिव